स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 47

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	678.82	179.14	857.96	797.50	164.00	961.50	877.60	177.00	1054.60	876.00	188.00	1064.00
	पूंजी	***0.10***	*...*	*0.10*	*2.50*	*...*	*2.50*	*10.40*	*...*	*10.40*	*24.00*	*...*	*24.00*
	जोड़	**678.92**	**179.14**	**858.06**	**800.00**	**164.00**	**964.00**	**888.00**	**177.00**	**1065.00**	**900.00**	**188.00**	**1088.00**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	9.91	0.39	10.30	11.00	0.75	11.75	11.00	0.75	11.75	11.50	0.80	12.30
चिकित्सा और जन स्वास्थ्य													
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी													
2. आयुर्वेद													
2.01 केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान और सिद्ध अनुसंधान परिषद (पहले इसका नाम केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद था)	2210	59.00	79.50	138.50	53.50	74.00	127.50	53.50	70.00	123.50	51.00	65.00	116.00
2.02 राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान , जयपुर	2210	13.50	17.24	30.74	12.00	16.00	28.00	18.52	18.27	36.79	15.00	21.77	36.77
2.03 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, दिल्ली	2210	5.00	...	5.00	25.00	...	25.00	33.00	...	33.00	54.12	...	54.12
2.04 अन्य स्कीमें	2210	12.13	16.21	28.34	11.05	14.15	25.20	25.05	15.41	40.46	16.50	20.17	36.67
जोड़- आयुर्वेद		*89.63*	*112.95*	*202.58*	*101.55*	*104.15*	*205.70*	*130.07*	*103.68*	*233.75*	*136.62*	*106.94*	*243.56*
3. होम्योपैथी													
3.01 केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद	2210	29.85	13.65	43.50	28.57	12.00	40.57	30.87	14.80	45.67	29.00	16.70	45.70
3.02 राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	2210	20.00	1.87	21.87	20.00	1.95	21.95	32.00	2.22	34.22	22.00	2.38	24.38
3.03 अन्य स्कीमें	2210	0.99	5.17	6.16	1.16	4.80	5.96	1.02	6.21	7.23	1.03	4.96	5.99
जोड़- होम्योपैथी		*50.84*	*20.69*	*71.53*	*49.73*	*18.75*	*68.48*	*63.89*	*23.23*	*87.12*	*52.03*	*24.04*	*76.07*
4. यूनानी													
4.01 केंद्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद	2210	30.95	39.39	70.34	30.39	31.07	61.46	36.39	36.26	72.65	30.00	35.00	65.00
4.02 राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान	2210	8.76	...	8.76	11.00	...	11.00	10.50	...	10.50	13.00	...	13.00
जोड़- यूनानी		*39.71*	*39.39*	*79.10*	*41.39*	*31.07*	*72.46*	*46.89*	*36.26*	*83.15*	*43.00*	*35.00*	*78.00*
5. योग और प्राकृतिक चिकित्सा													

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
5.01 मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान	2210	3.29	3.73	7.02	3.80	3.50	7.30	6.20	3.50	9.70	5.50	3.77	9.27
5.02 केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद	2210	12.50	1.62	14.12	11.50	1.50	13.00	16.50	1.75	18.25	17.00	2.00	19.00
5.03 केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद	2210	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6.00	10.38	16.38
5.04 अन्य स्कीमें	2210	5.30	...	5.30	5.30	...	5.30	6.30	...	6.30	6.00	...	6.00
जोड़- योग और प्राकृतिक चिकित्सा		*21.09*	*5.35*	*26.44*	*20.60*	*5.00*	*25.60*	*29.00*	*5.25*	*34.25*	*34.50*	*16.15*	*50.65*
जोड़-आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी		**201.27**	**178.38**	**379.65**	**213.27**	**158.97**	**372.24**	**269.85**	**168.42**	**438.27**	**266.15**	**182.13**	**448.28**
6. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	2210	39.86	...	39.86	44.00	...	44.00	47.66	...	47.66	52.00	...	52.00
7. आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास	2210	16.54	...	16.54	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
8. आयुष की अन्य स्कीमें													
8.01 सूचना ,शिक्षा और संचार	2210	29.91	...	29.91	27.00	...	27.00	37.00	...	37.00	13.50	...	13.50
8.02 अतिरिक्त मुराल अनुसंधान परियोजना	2210	3.96	...	3.96	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	3.00	...	3.00
8.03 आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/देशी औषधियों आदि में संलग्न गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र में उत्कृष्ट/प्रत्यायित आयुष केंद्रों को सहायता	2210	11.89	...	11.89	22.50	...	22.50	27.50	...	27.50	22.50	...	22.50
8.04 विशिष्ट नैदानिक केंद्रों /आईपीडीएस की स्थापना के लिए सरकारी निजी भागीदारी	2210	2.12	...	2.12	7.00	...	7.00	0.20	...	0.20	0.50	...	0.50
8.05 राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान	2210	11.00	...	11.00	13.00	...	13.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
8.06 अन्य कार्यक्रम	2210	39.06	3.78	42.84	53.93	4.28	58.21	41.60	7.83	49.43	26.71	5.07	31.78
	4210	0.10	...	0.10	1.50	...	1.50	0.40	...	0.40	...	...	...
	जोड़	*39.16*	*3.78*	*42.94*	*55.43*	*4.28*	*59.71*	*42.00*	*7.83*	*49.83*	*26.71*	*5.07*	*31.78*
जोड़- आयुष की अन्य स्कीमें		*98.04*	*3.78*	*101.82*	*130.43*	*4.28*	*134.71*	*127.20*	*7.83*	*135.03*	*81.21*	*5.07*	*86.28*
9. आयुष संस्थाओं का विकास	2210	20.00	...	20.00	40.00	...	40.00	37.00	...	37.00	45.00	...	45.00
10. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)													
10.01 अस्पताल और औषधालय	2210	223.06	...	223.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10.02 आयुष अस्पतालों और औषधालयों का विकास एवं आयुष को मुख्य धारा में लाना	2210	...	...	...	208.50	...	208.50	220.50	...	220.50	247.00	...	247.00
जोड़- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)		*223.06*	*...*	*223.06*	*208.50*	*...*	*208.50*	*220.50*	*...*	*220.50*	*247.00*	*...*	*247.00*
11. आयुर्वेद, सिद्ध ,यूनानी एवं होम्यापैथी	2210	0.35	...	0.35	4.50	...	4.50	3.65	...	3.65	8.00	...	8.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण													
12. औषधीय पौधों का राष्ट्रीय मिशन	2210	69.94	...	69.94	42.30	...	42.30	42.30	...	42.30	50.14	...	50.14
जोड़-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य		**669.06**	**182.16**	**851.22**	**708.00**	**163.25**	**871.25**	**773.16**	**176.25**	**949.41**	**774.50**	**187.20**	**961.70**
13. पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान													
13.01 राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	2552	...	...	...	6.00	...	6.00	6.84	...	6.84	6.00	...	6.00
13.02 उत्तर पूर्वी आयुष/देशी औषधि संस्थान	2552	...	...	...	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00	27.00	...	27.00
13.03 आयुष संस्थाओं का विकास	2552	...	...	...	5.00	...	5.00	8.00	...	8.00	5.00	...	5.00
13.04 औषध गुणवत्ता नियंत्रण	2552	...	...	...	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	...	...
13.05 एनआरएचएम के अंतर्गत स्कीमें													
13.05.01 अस्पताल और औषधालय	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13.05.02 आयुष अस्पतालों और औषधालयों का विकास एवं आयुष को मुख्य धारा में लाना	2552	...	...	...	23.50	...	23.50	23.50	...	23.50	28.00	...	28.00
जोड़- एनआरएचएम के अंतर्गत स्कीमें		*...*	*...*	*...*	*23.50*	*...*	*23.50*	*23.50*	*...*	*23.50*	*28.00*	*...*	*28.00*
13.06 औषधियों पौधों का राष्ट्रीय मिशन	2552	...	...	...	7.70	...	7.70	7.70	...	7.70	6.00	...	6.00
13.07 अनुसंधान परिषदें	2552	...	...	...	11.80	...	11.80	11.80	...	11.80	14.00	...	14.00
13.08 सूचना ,शिक्षा और संचार	2552	...	...	...	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	1.50	...	1.50
13.09 आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13.10 आयुष शिक्षा/औषधी विकास एवं अनुसंधान/ नैदानिक अनुसंधान/लोक औषधियों आदि कार्यों में लगे गैर-सरकारी/प्राइवेट क्षेत्र में उत्कृटता प्राप्त मान्य आयुष केंद्रों को सहायता	2552	...	...	...	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान		*...*	*...*	*...*	*80.00*	*...*	*80.00*	*93.84*	*...*	*93.84*	*90.00*	*...*	*90.00*
14. सरकारी उद्यमों में निवेश आईएमपीसी लिमिटेड	4210	...	...	...	1.00	...	1.00	10.00	...	10.00	24.00	...	24.00
15. वास्तविक वसूलियां	3601	-0.05	-3.41	-3.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		*678.92*	*179.14*	*858.06*	*800.00*	*164.00*	*964.00*	*888.00*	*177.00*	*1065.00*	*900.00*	*188.00*	*1088.00*

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													

http://indiabudget.nic.in

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
14.01 इंडियन मेडीसिन फार्मास्युटिकल कारपोरेशन	22210	...	...	...	1.00	...	1.00	10.00	...	10.00	24.00	...	24.00
जोड़		**...**	**...**	**...**	**1.00**	**...**	**1.00**	**10.00**	**...**	**10.00**	**24.00**	**...**	**24.00**
ग. योजना परिव्यय													
1. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22210	678.92	...	678.92	720.00	...	720.00	794.16	...	794.16	810.00	...	810.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	80.00	...	80.00	93.84	...	93.84	90.00	...	90.00
जोड़		**678.92**	**...**	**678.92**	**800.00**	**...**	**800.00**	**888.00**	**...**	**888.00**	**900.00**	**...**	**900.00**

1. **सचिवालय-सामाजिक-सेवाएं:** आयुष विभाग में सचिवालय सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।

2. **आयुर्वेद:** इसमें (i) आयुर्वेद में विकास व अनुसंधान हेतु केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, (ii) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, जो अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा रोगी परिचर्या के लिए आदर्श संस्थान के रूप में सेवा देता है (iii) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के लिए प्रावधान शामिल हैं। अन्य स्कीमों में (iv) गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के घटक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर को सहायता अनुदान तथा (v) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली के लिए प्रावधान शामिल हैं।

3. **होम्योपैथी:** इसमें (i) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, (ii) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता, जो एक स्वायत्त संगठन है, के लिए अनुदान और होम्योपैथिक स्नातकोत्तर कॉलेजों के उन्नयन हेतु अनुदान का प्रावधान शामिल है। अन्य स्कीमों के अंतर्गत प्रदर्शित प्रावधान (iii) विभाग के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय, होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला, गाजियाबाद और (iv) केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, जो एक सांविधिक निकाय है तथा होम्योपैथी फार्माकोपिया समिति के लिए हैं।

4. **यूनानी:** इसमें (i) केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद और (ii) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलोर (अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा जन स्वास्थ्य परिचर्या हेतु एक आदर्श संस्थान), जो सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित स्वायत्त संगठन है, के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **योग, प्राकृतिक चिकित्सा और सिद्ध:** इसमें अन्य स्कीमों के अंतर्गत (i) मोराजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली (ii) केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (iii) केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद तथा (iv) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को अनुदान हेतु प्रावधान शामिल है।

6. **राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड:** राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के विनिर्माण हेतु सुनिश्चित गुणवत्तायुक्त कच्ची सामग्रियां उपलब्ध कराने हेतु औषधीय पादपों के अंत:स्थाने संरक्षण और बाह्य स्थाने कृषि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संवर्धनात्मक और संविदात्मक कृषि स्कीमें प्रारंभ की हैं। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की पहल पर घेरलू उपभोग और निर्यात के लिए उच्च प्राथमिकता वाले औषधीय पादपों की कृषि को गति प्रदान करने के लिए 27 राज्यों और पांच संघ राज्य क्षेत्रों में अभी तक 32 राज्य औषधीय पादप बोर्डों का गठन किया गया है।

7. **आयुष उद्योग समूहों के लिए साझा सुविधाओं का विकास:** इस स्कीम के अंतर्गत आयुष उद्योगों वाले स्थानों पर कच्ची सामग्री मानकीकरण एवं तैयार माल की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सुविधा स्थापित की जाती है।

8. **आयुष की अन्य स्कीमें:** इनमें, (i) सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण (आई.ई.सी.), (ii) अनुसंधान संस्थाओं के जरिए बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाएं, (iii) आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा आदि में लगे हुए गैर सरकारी/निजी क्षेत्र में प्रत्यायित उत्कृष्टता आयुष केंद्रों को सहायता, (iv) वर्तमान आयुष अस्पतालों में विशिष्टता क्लीनिकों/अंतरंग रोगी विभागों को स्थापित करने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी हेतु आयुष अस्पताल एवं औषधालय स्कीम में अतिरिक्त घटक (v) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई शामिल हैं। अन्य कार्यक्रम में (vi) औषधालयों में सीजीएचएस का विस्तार (vii) अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रम (viii) टी.के.डी.एल. और सांविधिक संस्थानों नामत: (ix) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सी.सी.आई.एम.), और (x) एएसयू संबंधी भेषज संहिता समिति और भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता आयोग (पी.सी.आई.एम.) का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें (xi) विभाग के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय पी.एल.आई;एम., गाजियाबाद (xii) आयुष प्रणाली के प्रयोग एवं स्वीकार्यता पर सर्वेक्षण (xiii) आयुष कार्मिकों के लिए पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/अनवरत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई), (xiv) स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं/प्रसूति संबंधी कार्यों/हड्डी सेट करने वालों/पशु चिकित्सा परिचर्या आदि के पुन: सशक्तीकरण हेतु गैर-सरकारी संगठनों का वित्त पोषण (xv) आयुष एवं जन-स्वास्थ्य (xvi) पाठ्य पुस्तकों और पांडुलिपियों के प्रापण, सूचीकरण, अंकीकरण और प्रकाशन हेतु स्कीमें शामिल हैं।

9. **आयुष संस्थानों का विकास:** इस स्कीम के तहत स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर आयुष कॉलेजों को इस आशय के साथ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद/केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद द्वारा विनिर्धारित मानकों को प्राप्त करने के साथ-साथ अपनी अवसंरचना को सुदृढ़ बना सकें।

10. **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन:** अस्पतालों और औषधालयों के लिए एनआरएचएम के अंतर्गत अस्पतालों और औषधालयों की स्कीम को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/बाल स्वास्थ्य केंद्रों/जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाएं सृजित करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या कार्यतंत्र में आयुष को एकीकृत करने के प्रयोजनार्थ राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कार्य जारी रहेगा। वर्तमान स्कीम को सितम्बर, 2009 में संशोधित किया गया था। इसमें तीन मुख्य घटक अर्थात (i) सुविधाओं के उन्नयन हेतु मानकों के संशोधन और अनिवार्य औषिधयों एवं दवाओं की आपूर्ति सहित पीएचसी/सीएचसी/जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं का सह-स्थापन जारी रखना (ii) उपस्करों, अनिवार्य औषधियों का अर्जन और अनिवार्य कार्मिकों हेतु प्रावधान, जीर्णोद्धार, संयोजन हेतु अनुदान के प्रावधान के माध्यम से वर्तमान आयुष अस्पतालों और औषधालयों में सुविधाओं का उन्नयन (iii) जीर्णोद्धार, संयोजन, उपस्करों का प्रापण और व्यवहार्य अंतराल वित्त पोषण हेतु अनुदान संबंधी प्रावधान के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत तृतीयक आयुष स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का संवर्धन शामिल हैं।

11. **आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथिक औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण:** इस केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यों को उनकी राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं/राज्य फार्मेसियों के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी विनिर्माण एकांशों को अच्छी विनिर्माण पद्धित का अनुपालन करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

12. **राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन:** इस केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में उप घटक शामिल होंगे, जिसमें वित्तीय आवंटन हेतु 75,000 हेक्टेअर से भी अधिक भूमि पर प्राथमिकृत औषधीय पादप प्रजातियों की कृषि, 50.00 लाख पौध का रोपण, प्राथमिकृत औषधीय पादप प्रजातियों हेतु कृषि रोपण सामग्रियों के लिए केंद्रीयकृत बीज केंद्र और नर्सरी की स्थापना, देश के 6 कृषि जलवायु क्षेत्रों में औषधीय पादप क्षेत्रों की स्थापना और योजना निर्माण एवं विपणन सहायता के लिए बाजार विकास सहायता निधि शामिल है।

13. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों का प्रावधान:** केंद्रीय क्षेत्र स्कीमों और केंद्र प्रायोजित स्कीमों हेतु 90.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है अर्थात (i) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (ii) उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान, पासीघाट/उत्तर पूर्वी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग (iiii) आयुष संस्थानों का विकास (iv) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लाभार्थ अस्पताल और औषधालय स्कीमों का कार्यान्वयन (v) औषधीय पादप राष्ट्रीय मिशन (vi) आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा आदि में लगे हुए गैर सरकारी/निजी क्षेत्र में प्रत्यायित उत्कृष्टता आयुष केंद्रों को सहायता (vii) विभाग की अनुसंधान परिषदें अर्थात केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद तथा आयुष उद्योग समूहों के लिए साझा सुविधाओं का विकास शामिल है।

14. **सार्वजनिक उद्यमों में निवेश:** यह प्रावधान आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों की आयुष संस्थानों आदि में आपूर्ति के लिए इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत, जोकि कुमाऊं मंडल विकास निगम (उत्तरांचल सरकार का एक उपक्रम है) के साथ संयुक्त उद्यम है, के लिए है।